

फर्द अहकाम

न्यायालय का नाम:- सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

दासजीलाल बनाम - राजदेवकुमार

मुकदमा नम्बर 113/2023

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
91/7/23		<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमय पक्ष उपा वकील कृष्णा की ने श्रीमान कलेक्टर महोदय जयपुर के मुकदमा नं 113/2023 में पेश करने निम्नलिखित आदेश 25/5/23 को अमान्य करने एवं पेश की जायेक बाद के आदेशों पर पत्रावली वास्तु कृष्णा के काम वास्तु हेतु दिनांक 12/7/23 को पेश हो</p>	
12/7/23		<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमय पक्ष उपा वकील कृष्णा की ने 1 को अहकाम हुनी गठ करे वकील की अहकाम हेतु दिनांक 16/7/23 को पेश हो</p>	
16/7/23		<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमय पक्ष उपा श्रीमान को सब कसम शान्ति में आत है पत्रावली अतिशय दिनांक 10/7/23 को पेश हो</p>	
19/7/23		<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमय पक्ष उपा वकील कृष्णा की ने सत्य (कृष्णा) की जापड 039 R.P. C.P. का 16/7/23 को अहकाम हुनी पत्रावली काज प्रावी की अहकाम हुनी अहकाम पत्रावली वास्तु करके अहकाम हेतु दिनांक 23/7/23 को पेश हो</p>	
23/7/23		<p>पत्रावली पेश हुई वकील उमय पक्ष उपा वकील उमय पक्ष की अर्जीना पत्र 039 R.P. C.P. व अर्जीना पत्र 212 R.P. A.P.</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय का नाम:- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामी

बनाम ~~बनसिंह~~ ~~का~~ ~~विरुद्ध~~

मुकदमा नम्बर 113/2023

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विवरण
		<p>पर कदम सुनी गई परापूर्णी में दस्तावेजों का कोल्लोकाण किया गया। पत्नी का उग्र प्रवृत्ति की जानकारी पर 039R4 CPC पर कदम सुनने के उपनान्त उग्र प्रवृत्ति पर को पुनःपुनः के माध्यम पर स्वीकार कर को प्रतीति के निकट पाठित कन्वर्जिड कल्याण निषेधाज्ञा को पत्रादिन किया जाना है। विस्तृत को देना अलग से किया जाकर शांति के लिए किया गया। परापूर्णी के माध्यम पुनः पुनः के माध्यम से को देना है।</p>	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
जमवारामगढ़ जिला